तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/4171/2016/राजसमन्द** **भंवरू उर्फ भंवरलाल बनाम मोहनी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-01-26	**एकल–पीठ** **श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य** **उपस्थित** श्री उत्तम प्रकाश आमेटा अभिभाषक प्रार्थी । श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अप्रार्थी। **निर्णय** 1. यह निगरानी अंतर्गत धारा 84 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर दिनांक 12.04.2016 प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा भियाला तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 231/437 खसरा नम्बर 1275, 1276, 1277, 1278, 1280, 1281 शा.न. 1284, 1282, 1283, 1285, 1286, 1290/4 कुल किता 12 रकबा 13.05 बीघा भूमि श्री हजारी पिता नोला रेगर के खाते व कब्जे की थी। श्री हजारी के स्वर्गवास के पश्चात उनके जाईन्दा पुत्र नहीं होने से उनके खाते की उक्त भूमि प्रार्थी के नाम गोद पुत्र होने से दर्ज हुई। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इसकी अपील प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, देवगढ़ को रिमाण्ड कर पक्षकारान को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये। प्रार्थी ने विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ के निर्णय दिनांक 26–02–2015 से व्यथित होकर विद्वान संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–04–2016 द्वारा प्रार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी में सुनी गयी। 4. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश गैर कानूनी. गलत, एवं मनमाने है एवं इसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/4171/2016/राजसमन्द** **भंवरू उर्फ भंवरलाल बनाम मोहनी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्तर पर निरस्त करने योग्य है। उनका तर्क है कि विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ ने अपने निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 314 व 315 ग्राम पंचायत द्वारा पारित होना केवल मोहनी के कथन से माना है जिसके संबंध में कोई जांच नही की गयी क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण कोरम में प्रसतुत होकर इसका उल्लेख कर अन्य सदस्यों की सलाह से जाचं करने के पश्चात पारित किया जाता है। वस्तुतः विचाराधीन नामान्तरकरण संख्या 314 श्रीलिम्बा जिसका इस प्रकरण से कोई लेना देना नही है एव ंना ही आराजीयात जिसका विवेचन अपील मीमों में मोहनी द्वारा दिया गया है, नामान्तरकरण से मेल नही खाता है इसके अति0 नामान्तरकरण संख्या 314 की भूमि भागू, गुलाव, माना ढोली, की ओर से किशना के यहां रहन थी को बागुजास्त कराने से रहन खारिज का मूल खातेदार के नाम पारित किया गया एवं वह अपील में अंकित आराजी से भिन्न है तथा यह नामान्तरकरण भी तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार के बाहर है एवं इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने की क्षेत्राधिकारिता जिला कलेक्टर को प्राप्त है ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण की अपील 25 वर्ष के समय बाद में प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी और अप्रार्थी ने इसका समुचित एवं पर्याप्त कारण भी अंकित नहीं किया। अप्रार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 314 व 315 की एक संयुक्त अपील सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत की गयी जबकि संयुक्त अपील संधारण योग्य नही है। दोनों नामान्तरकरण की अलग-अलग अपील पेश होनी चाहिये, जो कि प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान संभागीय आयुक्त, उदयपुर का निर्णय दिनांक 12-04-2016 एवं सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ का निर्णय दिनांक 26-02-2015 को निरस्त फरमाया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/4171/2016/राजसमन्द** **भंवरू उर्फ भंवरलाल बनाम मोहनी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। श्री हजारी की पत्नी श्रीमती सोनी से पहले एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसकी एक वर्ष की आयु मृत्यु हो गयी थी तथा उसके पश्चात मोहिनी का जन्म हुआ मोहिनी को उसकी माता के साथ कभी भी बाकड़ी नहीं लाई गई। अतः प्रार्थी द्वारा मोहिनी को दत्तक /वारिस न मानने का कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है। नामान्तरकरण संख्या 314 व 315 में दशाई गई भूमि श्री हजारी की मौरूसी सम्पत्ति है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा स्वयं को उसका एकमात्र मालिक बताना पूर्णत : गलत एवं कानून के विपरीत है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण को तहसीलदार देवगढ को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है, ताकि सभी पक्षकारों को अपना–अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। यह आदेश न तो किसी पक्ष के अधिकारों का हनन करता है और न ही अंतिम निर्णय है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में 1993 आरआरडी पेज 411, 1995 आरआरडी पेज 120, 1985 आरआरडी पेज 170, 2020।। एससी (एल.बी.) पेज 870 की नजीरें पेश की। 6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया । 7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत. मियाला द्वारा खोले गये विवादित नामान्तरकरण संख्या 314 व 315 के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ ने प्रार्थी/अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसीलदार देवगढ़ को यह कथन करते हुये प्रतिप्रेषित कर दिया कि नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये जावे तथा उन्हें सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/4171/2016/राजसमन्द** **भंवरू उर्फ भंवरलाल बनाम मोहनी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखे जाने के आदेश किये।

8. हमारी सुविचारित राय में विवादित भूमि से संबंधित नामान्तरकरण क्रमांक 314 व 315 के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर पारित नामान्तरकरण में समस्त पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा नामान्तरकरण संख्या 314 व 315 अस्पष्ट/विवादित प्रतीत होता है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण को तहसीलदार, देवगढ़ को समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधि अनुसार नवीन सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी/अपीलांट यह भी सिद्ध करने में असफल रहा है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 314 व 315 उसके हक में किया जाये अथवा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो, जिससे प्रार्थी के पक्ष को समर्थन मिलता हो। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खण्डन में ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिसके माध्यम से प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जा सके। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है, जो विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 26-02-2015 व 12-04-2016 बहाल रखे जाते है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य